रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04092024-256885 CG-DL-E-04092024-256885

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234] No. 234] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2024/भाद्र 13, 1946 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2024/BHADRA 13, 1946

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2024

सं. 22/2024-25

विषय : संयुक्त राज्य राजकोषीय वर्ष 2025 हेतु टीआरक्यू स्कीम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को 8606 मीट्रिक टन अस्थाई मुल्य खांड का आवंटन।

फा.सं. 01/91/171/060/एएम23/ईसी/ई-33997.—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा संयुक्त राज्य राजकोषीय वर्ष 2025 हेतु टीआरक्यू स्कीम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को खांड के निर्यात के लिए 8606 मीट्रिक टन अस्थाई मूल्य की मात्रा का आवंटन करते हैं।

- 2. टीआरक्यू के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ को चीनी (एचएस कोड 17010000) का निर्यात अधिसूचना सं. 3/2015—20 दिनांक 20.04.2015 के अनुसार उपरोक्त अधिसूचना में 'प्रतिबंधों के स्वरूप' में अधिसूचित भार्तों के अधीन 'मुक्त' है।
- 3. यूएसए को चीनी के तरजीही निर्यात के लिए उद्गम प्रमाण पत्र, यदि आव" यक हो, इकाई और मात्रा जिसके लिए पात्र है के संबंध में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) 5666 GI/2024

की सिफारिभा पर अपर महानिदेभाक, विदेभा व्यापार, मुम्बई द्वारा जारी किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को चीनी के निर्यात के लिए विशेभारूप से निर्धारित अन्य प्रमाणन आवभयकता, यदि कोई हो, का पालन किया जाना जारी रहेगा।

- 4. संयुक्त राज्य अमेरिका को टीआरक्यू मदों के निर्यात हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), नई दिल्ली द्वारा कोटा प्रचालित होगा।
- 5. अधिसूचना सं. 20 दिनांक 07.09.2015 के साथ पिठत अधिसूचना सं. 03 / 2015—2020, दिनांक 20.04.2015 द्वारा यथा अधिसूचित रिपोर्टिंग की आवभयकता का अनुपालन किया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

दिनांक 01.10.2024 से 30.09.2025 तक टीआरक्यू स्कीम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किए जाने के लिए 8606 मीट्रिक टन अस्थाई मूल्य खांड की मात्रा को अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd September, 2024

No. 22/2024-25

Subject: Allocation of 8606 Metric Tonnes Raw Value (MTRV) of raw cane sugar to USA under TRQ scheme for US fiscal year 2025-regarding.

- **F. No. 01/91/171/060/AM23/EC/E-33997.** In exercise of the powers conferred under Paragraphs 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Director General of Foreign Trade hereby allocates quantity of 8606 MTRV for export of raw cane sugar to USA under TRQ scheme for US fiscal year 2025.
- 2. As per Notification No. 3/2015-20 dated 20.04.2015, export of sugar (HS Code 17010000) to USA and EU under TRQ is 'Free' subject to the conditions notified in the 'Nature of Restrictions' in the above notification.
- 3. Certificate of Origin, if required, for preferential export of sugar to USA shall be issued by Additional Director General of Foreign Trade, Mumbai on the recommendation of Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) regarding entity and quantity for which eligible. Other certification requirements, if any, prescribed specifically for the export of sugar to USA would continue to be followed.
- 4. The quota will be operated by Agriculture and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), New Delhi as the implementing agency for export of TRQ items to USA.
- 5. The reporting requirement as notified vide Notification No. 3/2015-2020 dated 20.04.2015 read with Notification No. 20 dated 07.09.2015 would be followed.

Effect of this Public Notice: The quantity of 8606Metric Tonnes Raw Value (MTRV) of raw cane sugar to be exported to USA under TRQ scheme from 01.10.2024 to 30.09.2025 has been notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.